बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या –17–योजना(बाह्यस्रोतीकरण)–22 / 2012-1296

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता –सह– बंदोबस्त पदाधिकारी,
लखीसराय।

पटना, दिनांक :– 23/07/15

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किये गये भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (डाटा इन्ट्री, प्रिंटिग तथा वितरण) कार्य हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक – 828 दिनांक – 20.05.2014 तथा आपका पत्रांक – 269 दिनांक 11.07.2015

महाशय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के आलोक में सूचित करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 7 (3) के प्रावधान के आलोक में निदेशालय द्वारा पूर्व में निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन करते हुए न्यूनतम दर की सूचना, एजेंसी का नाम तथा एकरारनामा का प्रारूप संबंधित बंदोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जा चुका है। बंदोबस्त कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उक्त एजेंसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की डाटा इन्ट्री, प्रिंटिग तथा आवश्यकतानुसार वितरण का कार्य करायेंगे। निदेशालय के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रम और समय की बचत करते हुए कम से कम समय में रैयतवार विभिन्न प्रपत्रों में सूचनाओं का संकलन किया जा सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में आपके कार्यालय के पत्रांक – 442 दिनांक – 06.09.2014 द्वारा कतिपय बिंदुओं पर निदेशालय से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है। उक्त आलोक में कृपया निम्न प्रकार अग्रतर कार्रवाई की जाए :–

1. चयनित एजेंसी का फैक्स नंबर एवं फोन नंबर निदेशालय के पत्रांक – 828 दिनांक – 20.05.14 द्वारा पूर्व से प्रतिवेदित है। जहाँ तक एजेंसी से संबंधित सक्षम पदाधिकारी के नाम का प्रश्न है, इसके लिए मुख्यालय स्तर पर आयोजित राज्य स्तरीय बैठकों में सभी प्रभारी पदाधिकारियों से संबंधित कर्मी का परिचय कराते हुए उनका मोबाईल नंबर भी पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। नेटलिंक एजेंसी के सक्षम पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार (नया मोबाईल नम्बर – 7544061986) हैं।

2. एजेंसी की ओर से बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय के साथ वही व्यक्ति एकरारनामा करने के लिए सक्षम होगा जिसे एजेंसी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाएगा। बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय एजेंसी से प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर एकरारनामा की कार्रवाई पूरी करेगा।

उपरोक्त कंडिका में प्राधिकृत व्यक्ति का नाम श्री कुन्दन कुमार बताया गया है।

3. निविदा के माध्यम से डाटा इन्ट्री के लिए 2.70 रूपये प्रति खेसरा का दर निर्धारित है। डाटा इन्ट्री के लिए केवल खेसरा पंजी का प्रपत्र– 6 को उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रपत्र में डाटा प्रविष्टि बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय द्वारा की जाएगी। इसके उपरांत एजेंसी द्वारा कम्प्यूटर में एन.आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर (प्रपत्र–6) के माध्यम से डाटा इन्ट्री करेगी।

प्रपत्र – 6 से डाटा इन्ट्री के उपरांत प्रपत्र – 7, 12 एवं 20 की प्रतियाँ स्वतः साफ्टवेयर उपलब्ध करा देगी। स्पष्ट है कि डाटा इन्ट्री के भुगतान हेतु प्रपत्र – 6 आधार अभिलेख होगा तथा प्रिंटिग के लिए प्रपत्र – 6, 7, 12 एवं 20 के लिए अनुमान्य दर पर राशि का भुगतान किया जाएगा। इस आशय की जानकारी पूर्व में निदेशालय के संदर्भित पत्र द्वारा प्रतिवेदित करते हुए राज्य स्तरीय बैठकों में लगातार सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जा रही है।

4. निदेशालय के पत्रांक – 828 दिनांक – 20.05.14 द्वारा अभिलेखों का रैयतों के बीच वितरण कार्य हेतु 4.00 रूपये प्रति रैयत का दर निर्धारित है। चूँकि प्रपत्र – 11 का वितरण खानापुरी पर्चा से संबंधित दावों की प्राप्ति के लिए वितरित किया जाना है तथा प्रपत्र – 17 में प्रारूप प्रकाशन के उपरांत रैयतों से प्राप्त दावों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचित किया जाना है, अतएव चूँकि दोनो प्रपत्र अलग–अलग प्रक्रम के

उपरांत तैयार किये जाएँगे इसलिए वितरण के लिए पारिश्रमिक की गणना भी प्रपत्र – 11 एवं 17 से संबंधित रैयतो की संख्या के आधार पर की जाएगी।

5. बाहयस्रोतीकरण के माध्यम से कार्य करने के लिए चयनित एजेसियों द्वारा मोबलाईजेशन एडवांस के रूप में राशि की मांग की जाती है। उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निदेशालय द्वारा तैयार किये गये एकरारनामा की कंडिका –4(ii) में 5 प्रतिशत परफारमेंस गारंटी का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के पत्रांक – 2561 दिनांक – 17.04.98 की कंडिका – 15 में यह अनुदेश है कि जितनी राशि अग्रिम के रूप में दी जाए उतनी राशि के समतुल्य बैंक गारंटी प्राप्त कर ली जाए।

यदि बंदोबस्त कार्यालय अग्रिम देने के पक्ष में नही है तो एजेंसी द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के आधार पर अनुमान्य दर से देय राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारी स्वंय सक्षम हैं।

6. पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि डाटा इन्ट्री के लिए प्रपत्र – 6(खेसरा पंजी) आधार अभिलेख माना जाएगा। एजेंसी द्वारा किये गये डाटा इन्ट्री का सत्यापन बंदोबस्त कार्यालय के स्तर से किया जाना अनिवार्य है। खेसरा पंजी के प्रपत्र – 6 में कुल मिलाकर 19 कॉलम हैं जिससे डाटा की प्रविष्टि एजेंसी द्वारा कम्प्यूटर में की जाएगी। यदि एक राजस्व ग्राम के लिए तैयार किये गये कुल खेसरा पंजी के प्रपत्र की संख्या के 2 प्रतिशत से अधिक प्रतियों में कोई टंकण त्रुटि पायी जाती है तो उक्त राजस्व ग्राम के कुल खेसरा पंजी के लिए देय राशि 2.70 रूपये प्रति खेसरा के आधार पर 10 प्रतिशत की राशि की कटौती की जाएगी।

निदेशालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र में पूर्व से ही स्पष्ट है कि स्टेशनरी इत्यादि की व्यवस्था एजेंसी द्वारा अपने स्तर से की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में त्रुटिपूर्ण हार्ड कॉपी की लागत का वहन एजेंसी को ही करना है। जहाँ तक प्रिंटिंग के लिए 0.61 रूपये प्रति पेज का भुगतान नही करने का प्रश्न है, यह स्वतः स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण हार्ड कॉपी अस्वीकार योग्य अभिलेख है जो भुगतान की श्रेणी में नही आता है।

अतः अनुरोध है कि प्रभारी पदाधिकारी को अपने स्तर से आदेश दिया जाए कि कार्य हित में बिना विलंब किये संबंधित एजेंसी के साथ एकरारनामा की कारवाई पूरी करायें एवं भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक

ज्ञापांक :– 17–योजना(बाहयस्रोतीकरण)–22 / 2012-1296 **पटना, दिनांक** –23/07/15

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

निदेशक

ज्ञापांक :– 17–योजना(बाहयस्रोतीकरण)–22 / 2012-1296 **पटना, दिनांक** –23/07/15

प्रतिलिपि :– नेटलिंक, प्रा0लि0, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 17–योजना(बाहयस्रोतीकरण)–22 / 2012-1296 **पटना, दिनांक** –23/07/15

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

निदेशक